संख्या– 879 /XXVIII(1)/2017-19(मे0का0)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक/5 जुलाई, 2017

विषयः– **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2984 / चि0शि0 / 01 / निदे0 / 153 / 2017 दिनांक 07.07.2017 एवं पत्र संख्या–3054 / चि0शि0 / 03 / मेडिकल / 15 / 2017 दिनांक 13.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017, शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से पूर्व में शासनादेश सं0–943/XXVIII(1)/2008-19/2005 T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश सं0–2735 / दस–2005–8(9) / 2004 दिनांक 23.07.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किया गया।

3– अवगत कराना है कि उक्तानुसार एम0बी0बी0एस तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किये जाने के पश्चात भी प्रायः यह संज्ञान में आया कि रियायती दर पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात बॉण्डधारी चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन को निष्फल किये जाने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकायें योजित करके अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन से बचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

4– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0 / एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i– शासनादेश सं0–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर–5(iv)(a)(b)तथा प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को घटाकर एकमुश्त ₹ 1,00,00,000 /– (₹ एक करोड़ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

ii– शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के साथ संलग्न बॉण्ड में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले बॉण्डधारी एम0बी0बी0एस0 छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त पर्वतीय क्षेत्रों में 03 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि को बढ़ाकर 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि किया जाता है।

E:\Yashwant Sir\Draft 2017.doc

5– उपरोक्तानुसार संशोधन शैक्षणिक सत्र 2017–18 से लागू होंगे।

6– यदि ऐसे छात्र–छात्रा द्वारा पर्वतीय सेवा अवधि 05 वर्ष से कम में सेवा का परित्याग किया जाता है अथवा अनाधिकृत रूप से 02 माह से अधिक लगातार अनुपस्थित रह जाता है, तो उसे शेष रह गयी अवधि के अनुपात में बॉण्ड की धनराशि राजकोष में जमा करनी होगी।

7– एम0बी0बी0एस0 बॉण्डधारी चिकित्सकों को पंजीकरण के उपरान्त प्रथम वर्ष में राज्य के 09 जिलों (देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर को छोड़कर) के जिला चिकित्सालयों में/आधार चिकित्सालयों में तैनात किया जायेगा। इसके उपरान्त उन्हें इन्ही जिलों के सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रों में तैनात किया जायेगा। 02 माह से कम की अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में उनके वेतन से निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

i– किसी माह में 01 से 10 दिनों तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की दशा में वेतन कटौती प्रति दिवस दोगुना वेतन कटौती के अनुसार होगी।

ii– किसी माह में 10 दिनों से अधिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र न होने की दशा में एक माह के वेतन के बराबर कटौती होगी।

8– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड में विहित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

9– उपरोक्त में विहित प्राविधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों का होगा।

10– उक्त संबंध में कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य में समय–समय पर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
OmPrakash
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– /XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

E:\Yashwant Sir\Draft 2017.doc